(२५)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2005/फाल्गुन 6, 1926

No. 81] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2005/PHALGUNA 6, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 104(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित, धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 67 में,—

(क) उपनियम (1) में, ''प्ररूप 7'' शब्द और अंक के स्थान पर ''प्ररूप 6'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु प्ररूप 6 में परेषण पत्र उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां मन:प्रभावी पदार्थ के विक्रय के साथ परेषक अथवा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित विक्रय बिल अथवा बीजक या कैश मेमो अथवा अन्य कोई दस्तावेज भेजा जाता है, जिसमें परेषण के बारे में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :

(क) परेषक और परेषिती का नाम, पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या;

(ख) विवरण, बैच सं. तथा मात्रा;

(ग) परिवहन का ढंग तथा विशिष्टयां :

परन्तु यह और कि ऐसा दस्तावेज, परेषक तथा परेषिती द्वारा उपर्युक्त उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण—जहां परेषिती एक अनुसंधान संस्था, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, अस्पताल अथवा औषधालय है, वहां परेषिती की अनुज्ञप्ति संख्या को सम्मिलित करने की अपेक्षा लागू नहीं होगी।''

[फा. सं. V/4/2002-एन.सी. -II]

श्यामला मोहन, अवर सचिव

टिप्पण :—स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 भारत के राजपत्र में तारीख 14-11-1985 को सा.का.नि. 837(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् इसे का.आ. 786(अ), तारीख 26-10-1992, का.आ. 599(अ), तारीख 10-8-1993, सा.का.नि. 748(अ), तारीख 14-12-1993, सा.का.नि. 543(अ), तारीख 24-10-1994, सा.का.नि. 82(अ), तारीख 14-2-1995, सा.का.नि. 556(अ), तारीख 14-7-1995, सा.का.नि. 25(अ), तारीख 12-1-1996, सा.का.नि. 509(अ), तारीख 4-11-1996, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 25-6-1997, सा.का.नि. 214(अ), तारीख 19-3-2002, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 14-11-2002, सा.का.नि.115(अ), तारीख 21-2-2003, सा.का.नि. 129(अ), तारीख 26-2-2003, सा.का.नि. 217(अ), तारीख 17-3-2003 तथा सा.का.नि. 95(अ), तारीख 4-2-2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2005

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in rule 67,—

(a) in sub-rule (1), for the word and figure "Form 7", the word and figure "Form 6" shall be substituted;

(b) after sub-rule 4, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that consignment note in Form 6 shall not apply in cases where the sale of the psychotropic sSubstance is accompanied by a sale bill or invoice or cash memo or any other document duly signed by the consignor or his authorized signatory, which shall include the following information about the consignment :

(a) name, address and licence number of the consignor and the consignee;

(b) description, batch number and quantity;

(c) mode and particulars of transport :

Provided further that such document shall be preserved by consignor and consignee for a period of two years for inspection by the officers referred to in sub-rule (4) above.

Explanation : Where the consignee is a research institution, registered medical practitioner, hospital or dispensary, the requirement of incorporating licence number of consignee shall not be applicable."

[F. No. V/4/2002-NC-II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Note:—The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 837(E) dated 14-11-1985 and subsequently amended *vide* S.O. 786(E) dated 26-10-1992, S.O. 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(ER) dated 14-12-1993, G.S.R. 543(E) dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E) dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E) dated 12-1-1996, G.S.R. 509(E) dated 4-11-1996, G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997, G.S.R. 214(E) dated 19-3-2002, G.S.R. 763(E) dated 14-11-2002, G.S.R. 115(E) dated 21-2-2003, G.S.R. 129(E) dated 26-2-2003, G.S.R. 217(E) dated 17-3-2003 and G.S.R. 95(E) dated 4-2-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.